प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 31 जनवरी, 2014**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में लेखाशीर्षक-'2401-119-01-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25-के./रा.)' में प्राविधानित धनराशि रू0-10,49,15 हजार को अवमुक्त किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-164/बजट-आयोजनागत/2013-14, दिनांक: 14.11.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-317/58-2-2013-300(18)/2012, दिनांक: 05.06.2013 द्वारा मुख्य योजना हेतु रूपये 1,60,00/-हजार (रूपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त रू0-10,49,15 हजार (रूपये दस करोड़ उन्चास लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मिशन निदेशक भी हैं, के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

धन(राशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/मद	कुल प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि (मुख्य योजना हेतु)
10	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0119- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन					

.....2/-

http://sharasanadesh.up.nic.in

	(के075/रा0 25-के0/रा0) **27-सब्सिडी**	19,22,25	2,10,00	78686.25	26228.75	10,49,15
	योग-	**19,22,25**	**2,10,00**	**78686.25**	**26228.75**	**10,49,15**

(रूपये दस करोड़ उन्चास लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

(5) व्यय की गयी धनराशि का विवरण प्रत्येक माह के 05 तारीख को शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-1-26-/दस-2014, दिनांक: 18.01.14 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
ह0/-
शरद कुमार सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-9/52/(1)/58-2-2014, तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(7) गार्डफाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in